न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व),

श्रीकरणपुर

पीठासीन अधिकारीः श्रीमती रीना छिम्पा {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या :55/2015

1. दलीप सिंह पुत्र रल्ला सिंह जाति कम्बोसिख निवासी 3 एक्स तहसील श्री करणपुर जिला श्री गंगानगर।
1/1. हरदेव सिह पुत्र दलीप सिंह जाति कम्बोसिख निवासी 3 एक्स तहसील श्री करणपुर।
1/2. अवतार सिह पुत्र दलीप सिंह जाति कम्बोसिख निवासी 3 एक्स तहसील श्री करणपुर
1/3. हरजीत सिह पुत्र दलीप सिंह जाति कम्बोसिख निवासी 3 एक्स तहसील श्री करणपुर
1/4. मनजिन्द्र सिह पुत्र दलीप सिंह जाति कम्बोसिख निवासी 3 एक्स तहसील श्री करणपुर
1/5. हरनेक सिह पुत्र दलीप सिंह जाति कम्बोसिख निवासी 3 एक्स तहसील श्री करणपुर
1/6. मुखविन्द्र सिंह पुत्र दलीप सिंह जाति कम्बोसिख निवासी 3 एक्स तहसील श्री करणपुर
2. चतर सिह पुत्र प्रीतम सिह जाति कम्बोसिख निवासी 3 एक्स तहसील श्री करणपुर।

- प्रार्थीगण-

बनाम

1. दर्शन सिह पुत्र बूटा सिह जाति जटसिख निवासी 3 एक्स तहसील श्री करणपुर।
2. बसन्त सिह पुत्र दर्शन सिह जाति जटसिख निवासी 3 एक्स तहसील श्री करणपुर।
3. भूपेन्द्र सिह पुत्र दर्शन सिह जाति जटसिख निवासी 3 एक्स तहसील श्री करणपुर।
4. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार राजस्व, श्री करणपुर।

--अप्रार्थीगण--

-:प्रार्थीगण की ओर से:- अधिवक्ता श्री युधिष्ठर सिंह सैनी ,
-:अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 की ओर से:- अधिवक्ता श्री अशोक जोशी,
-: अप्रार्थी संख्या 4 :- राजपैरोकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए

--निर्णय-- दिनांक : 4/9/2019

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया। कि चक 3 एक्स की जमाबन्दी सम्वत 2032 ता 35 के खाता संख्या 14 के मु.न. 54, 66/28, के कुल 6 बीघा 5 बिस्वा नहरी रकबा मय खाल भूमि व इसी चक के खाता संख्या 15 के मु.न. 47 की कुल 25 बीघा नहरी भूमि में से 250 हिस्सा यानि 12 बीघा 10 बिस्वा नहरी भूमि दोनो खातो की कुल 18 बीघा 15 बिस्वा नहरी भूमि प्रार्थी संख्या 1 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। प्रार्थीगण संख्या 1 का मु.न. 47 के किला न. 1,10,11,20,21,2,9,12,19,22 सालम-सालम तथा किला न. 3,8,13,18,23 प्रत्येक के 10 बिस्वा रकबा पर कई वर्षो से शांतिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है। वर्तमान में प्रार्थी संख्या 1 द्वारा मु.न. 54 के 6 बीघा 5 बिस्वा का तबादलानामा प्रार्थी संख्या 2 के साथ कर लिया है। जिसका इन्तकाल वर्तमान जमाबन्दी में दर्ज हो चुका है। चक 3 एक्स की जमाबन्दी सम्वत 2069 ता 72 के खाता संख्या 43 के मु.न. 47 में 3.163 हैक्टर नहरी भूमि प्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज है। इसी चक की जमाबन्दी सम्वत 2069 ता 72 के खाता संख्या 19 के मु.न. 54 के किला न. 10,11,20,21,22 प्रत्येक सालम कुल 1.265 हैक्टर नहरी भूमि व इसी चक के खाता संख्या 20 के मु.न. 54 के किला न. 1 के 0.228 हैक्टर किला न. 17/2 की 0.152 हैक्टर, मु.न. 66/28 की 0.025 हैक्टर खाला कुल 0.465 हैक्टर नहरी मय खाला भूमि प्रार्थी संख्या 2 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। चक 3 एक्स की जमाबन्दी सम्वत 2032 ता 35 के मु.न. 55 के किला न. 4 ता 7, 14 ता 17, 20,21,24,25 प्रत्येक सालम व किला 11/2 के 10 बिस्वा कुल 12 बीघा 10 बिस्वा भूमि हरी

(रीना)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

Scanned by CamScanner

सिह पुत्र गरीब सिह के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी। हरी सिह ने अपने जीवनकाल में दिनांक 01.12.1978 को एक प्रार्थना पत्र श्री मान अतिरिक्त जिलाधीश महोदय, श्री गंगानगर के समक्ष मजबेआम चक 26 एच के आश्य का पेश किया कि मु.न. 55 का कोई रास्ता नहीं है। इसलिए मु.न. 47 व 54 के प्रत्येक के किला न. 1,10,11,20,21 में से रास्ता दिया जावे। उक्त प्रार्थना पत्र हरी सिह व प्रार्थी संख्या 1 दलीप सिह को सुनते हुए दिनांक 09.12.1978 को यह आदेश पारित किया कि प्रार्थीयान हरी सिह व अप्रार्थीगण दलीप सिह को सुना गया, जो रास्ता के बदले में अन्य भूमि लेकर रास्ता देने के लिए तैयार है, इस प्रकार हरी सिह को मु.न. 55 में जाने के लिए प्रार्थीगण के मु.न. 47 के किला न. 1,10,11,20,21 व मु.न. 54 के किला न. 1,10,11,20,21 में से रास्ता स्वीकृत किया जाता है। तथा उक्त रास्ता के बदले मे हरी सिह द्वारा दी गई चक 3 एक्स के मु.न. 55 के किला न. 5 के 10 बिस्वा भूमि राजस्व रिकॉर्ड में अमद दरामद प्रार्थी दलीप सिह के नाम किए जाने का आदेश दिया जाता है। आदेश की प्रतिलिपि पालनार्थ तहसीलदार श्री करणपुर व पटवारी हल्का 26 एच को दिनांक 27.01.1979 को भेजी गई। प्रार्थी संख्या 1 के द्वारा मु.न. 54 के 6 बीघा 5 बिस्वा रकबा का तबादलानामा प्रार्थी संख्या 2 चतर सिह के साथ कर दिया हैं। जिसका इन्द्राज जमाबन्दी में दर्ज हो चुका है। प्रार्थी संख्या 2 उक्त आदेश दिनांक 09.12.1978 से प्रभावित होने वाला पक्षकार है। आदेश दिनांक 09.12.1978 से लेकर आज तक प्रार्थीगण के मु.न. 54 व 47 के प्रत्येक 1,10,11,20,21 में रास्ता शांतिपूर्वक, मौका पर आज भी चालू है और प्रार्थीगण मु.न. 55 के किला न. 5 के 10 बिस्वा पर लगभग 35 वर्षो से लगातार शांतिपूर्वक काबिज काश्त चले आ रहे है। हरी सिह द्वारा मु.न. 55 के कुल 12 बीघा 10 बिस्वा भूमि की वसीयत अपने जीवनकाल में अपनी पत्नि जीत कौर के नाम कर दी थी। जिसका वसीयत इन्तकाल जीत कौर के नाम से जमाबन्दी में दर्ज हो चुका है। जीत कौर ने भी अपने जीवनकाल में अपने उक्त रकबा की वसीयत अपने तीनो पुत्र करनैल सिह, तरसेम सिंह, काला सिह के नाम कर दी थी। उक्त वसीयत का इन्तकाल संख्या 283 जीत कौर की मृत्यू के पश्चात करनैल सिह आदि के नाम बहिस्सा बराबर जमाबन्दी में दर्ज हो गया था। करनैल सिह, तरसेम सिह, काला सिह द्वारा अपना-अपना 1/3 हिस्सा अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 को बेचान कर दिया है। जिसका इन्तकाल राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है श्री मान अतिरिक्त जिलाधीश महोदय श्री गगानगर के आदेश दिनांक 09.12.1978 की पालना सहवन से रह गई। जबकि यह आदेश आज भी प्रभावी हैं। जिसके विरूद्व कोई अपील या निगरानी पेश नही है। इसलिए यह आदेश अन्तिम हो चुका है। इस प्रकार इस आदेश दिनांक 09.12.1978 के अनुसार प्रार्थी संख्या 1 के रकबा मु.न. 47 के किला न. 1,10,11,20,21 में से 1-1 बिस्वा तथा प्रार्थी संख्या 2 के मु.न0. 54 के किला न. 1,10,11,20,21 में से 1-1 बिस्वा रास्ता की एवज में गैरमुमकिन रास्ता घोषित किया जाना था। तथा अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 के नाम दर्ज मु.न. 55 के किला न. 5 के 10 बिस्वा रकबा को प्रार्थीगण के नाम बहिस्सा बराबर बराबर जमाबन्दी में दर्ज किया जाना चाहिए था। जिसकी पालना सहवन से रह गई प्रार्थीगण इस आदेश की पालना के लिए आज भी तैयार है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 मु.न. 55 के 12 बीघा 10 बिस्वा भूमि का इन्तकाल अपने नाम दर्ज होने का नाजायज फायदा उठाते हुए प्रार्थीगण के कब्जा काश्त के मु.न. 55 के किला न. 5 के 10 बिस्वा पर कब्जा करने की कोशिश करने लगे तो प्रार्थीगण ने कहा कि यह भूमि हमें रास्ता की एवज में प्राप्त हुई है। जिसका इन्तकाल हमारे नाम दर्ज करने के आदेश दिनांक 09.12.1978 को हो चुके हैं। इस सम्बन्ध में प्रार्थीगण ने जमाबन्दी की नकल प्राप्त करने पर पता लगा कि इस 10 बिस्वा रकबा का इन्तकाल प्रार्थीगण के नाम दर्ज नही हुआ है। इसलिए प्रार्थीगण आदेश दिनांक 09.12.1978 की रूह से मु.न. 55 के किला न. 5 के 10 बिस्वा रकबा का इन्तकाल अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 के नाम दर्ज हो चुका को खारिज करवाकर उक्त रकबा को अपने नाम जमाबन्दी में दर्ज करवाकर खातेदारी अधिकारो की घोषणा करवा पाने के अधिकारी है। आज से दो रोज पूर्व प्रार्थीगण अप्रार्थीगण से मिले और कहा कि वे मु.न. 55 के किला न. 5 के 10 बिस्वा रकबा का इन्तकाल जो जमाबन्दी में अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 के नाम गलत दर्ज हुआ है, को खारिज

(रीना)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
करणपुर

Scanned by CamScanner

...करवाकर प्रार्थीगण के नाम से करवा देवे, तो अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 उक्त रकवा का इन्तकाल प्रार्थीगण के नाम दर्ज करवाने से साफ इन्कार हो गये। इसलिए भी प्रार्थीगण अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 को अस्थाई निषेधाज्ञा द्वारा रोक पाने के अधिकारी है।

प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं राईट एण्ड टाईटल प्रार्थी के पक्ष में ...पाया जाता है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण ...विरुद्ध इस अमर की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 प्रार्थीगण के ...कब्जा काश्त की भूमि वाके चक 3 एक्स के मु.न. 55 के किला न. 5 के 10 विस्वा भूमि पर कब्जा ...करने से या किसी दूसरे व्यक्ति से कब्जा करवाने से तथा उक्त 10 विस्वा रकवा को रहन, वैय या ...अन्य किसी प्रकार से मुन्तकिल करने से वाज व ममनू रहे व मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये ...रखे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलव ...किया गया अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक जोशी उपस्थिति आए व जवाब ...प्रार्थना पत्र पेश किया जवाब प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी द्वारा अंकित भूमि तबादलानामा प्रार्थी संख्या ...1 के साथ किए जाने के कथन लाईल्मी होने से स्वीकार नहीं है। मद संख्या 5 गलत अंकित की गई ...होने से स्वीकार नही है। मु.न. 55 के पूर्व स्वामी हरी सिह द्वारा कथित दिनांक को अथवा कभी भी ...अतिरिक्त जिलाधीश महोदय अथवा किसी भी सक्षम अधिकारी के समक्ष काई आवेदन पत्र रास्ता वावत ...प्रस्तुत किया जाना स्वीकार नही है। हरी सिह काफी वृद्ध तथा अक्षम व्यक्ति था, जो वर्ष 1978 में ...चलने फिरने में भी समर्थ नही था, कथित आवेदन पत्र फर्जी है। ऐसे में यदि कथित हरी सिह की ...अनुपस्थिति में किसी भी अधिकारी के द्वारा कोई आदेश उसकी भूमि वावत पारित किया भी गया हो तो ...वह कथित हरी सिह अथवा हरी सिंह के माध्यम से दावा करने वाले किसी भी उतराधिकारी के ...अधिकारो पर वे-असर है। यदि ऐसा कोई आदेश पूर्ण प्रक्रिया अपना कर पारित किया जाता तो उक्त ...आदेश की पालना में राजस्व अभिलेख में इसकी क्रियान्विति की जाती। चूकि यह आदेश प्रारम्भतः की ...विधि विरुद्ध एंव सम्यक सुनवाई के विना दिया गया था, इसलिए इसकी कभी भी पालना नहीं की गई ...और कृषि भूमि पूर्ववत ही खातेदारो के नाम दर्ज रही। अर्थात हरी सिह की मु.न. 55 की 12 बीघा 10 विस्वा भूमि उसकी मृत्यू होने तक भी उसी के नाम रही, तत्पश्चात उसकी वसीयत के अनुसार ...उसकी पत्नि तथा तदोपरान्त उसके वारिसान के नाम दर्ज हुई तथा अन्ततः उसके वारिसान काला सिह, ...करनैल सिंह व तरसेम सिह पिसरान हरी सिह के द्वारा जरिए पंजीकृत विक्रय विलेख हम अप्रार्थीगण ...दर्शन सिंह, वसन्त सिह व भूपेन्द्र सिह को वेचान कर देने पर तदानुसार नाम दर्ज हुई है। अव यह ...आदेश अवधि वाधित होकर पालना योग्य नहीं रह गया है, एंव इसे आधार बनाकर प्रस्तुत किया गया ...प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं है। मद संख्या 6 जिस प्रकार अंकित की गई है स्वीकार नही है। प्रार्थी दलीप ...सिह द्वारा चतर सिंह से अपनी भूमि का तबादला कर लेने के कथन लाईल्मी होने से स्वीकार नहीं है। ...लेकिन चूकि पूर्व जवाब मद में अंकितानुसार कथित आदेश पालना योग्य नहीं रह गया है, इसलिए चतर ...सिंह का प्रभावी पक्षकार होने के कथन स्वीकार नहीं है। मद संख्या 7 इस हद तक स्वीकार है कि मु. ...न. 54 व 47 के किला न. 1,10,11,20,21 में रास्ता चालू है । जो इस मुरवा के काश्तकारो की ...सहमति से चला आ रहा है। यह रास्ता गत 60 वर्षो से अधिक समय से चला आ रहा है। वादगत ...भूमि अप्रार्थीगण के कब्जा काश्त में है तथा खातेदारी है किला न. 5 सालम पर हमारा कब्जा है। मद ...संख्या 10 अस्वीकार है। जिस आदेश की पालना प्रार्थीगण के द्वारा चाही जा रही है। वह आदेश ...परिसीमा अवधि के प्रावधानों के अनुसार अवधि बाधित होकर पालना योग्य नही रह गया है। मद संख्या 11 इस हद तक स्वीकार है कि वादगत भूमि अप्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। जो बैयनामा ...से दर्ज हुई है। इस सम्बन्ध में राजस्व न्यायालय को कोई अधिकार प्राप्त नही है। शेष तथ्य अस्वीकार ...है। मद संख्या 12 गलत अंकित होने के कारण अस्वीकार है वादगत भूमि पर खरीद की दिनांक से ...हमारा कब्जा निरन्तर एवं शान्तिपूर्वक चला आ रहा है। जवाव प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि ...प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज किया जावे। जवाव स्टेट पेश नही करने पर जवाव स्टेट वन्द किया गया।

(सैना)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

Scanned by CamScanner

बहस सुनी गई प्रार्थी अधिवक्ता के द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि रास्ता मौके पर चल रहा है। जिस निर्णय के सम्बन्ध में रिलीफ चाही गई है, वह आदेश है, डिक्री नहीं है, आदेश की कोई अवधि नहीं है। सहमति से किया गया आदेश है। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे। अप्रार्थीगण अधिवक्ता के द्वारा अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र मे अकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र खारिज हेतु निवेदन किया।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी के द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में निवेदन किया है कि चक 3 एक्स के मु.न. 55 के किला न. 5 की 10 बिस्वा भूमि उन्हें आदेश दिनांक 09.12.1978 से रास्ता की भूमि के बदले में प्राप्त हुई है। इसलिए इस 10 बिस्वा भूमि के सम्बन्ध में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे। अप्रार्थी के द्वारा अपने जवाब में निवेदन किया है कि वादगत भूमि उनके द्वारा बैयनामा से खरीद की गई है। जिस आदेश के सम्बन्ध में वादपत्र पेश किया गया है वह आदेश परिसीमा अवधि के प्रावधानों के अनुसार अवधि बाधित होकर पालना योग्य नही रह गया है। न्यायालय द्वारा पारित की जाने वाली डिक्री तथा आदेश तब तक अर्थहीन है। जब तक उनका वास्तव में निष्पादन नहीं हो जाता। निष्पादन से तात्पर्य न्यायालय द्वारा दी गई डिक्री या आदेश का संहिता में दी गई प्रक्रिया के अनुसार परिवर्तन कराया जाना है। प्रार्थीगण को आदेश दिनांक 09.12.1978 के सम्बन्ध में कोई अनुतोष प्राप्त होना है या नहीं यह तथ्य मूलवाद में साक्ष्य से तय होना है। अप्रार्थीगण इस भूमि के बैयनामा के आधार पर रिकॉर्डड खातेदार है। किसी रिकॉर्डड खातेदार के विरूद्व अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना विधिसम्मत नहीं है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के तीनो बिन्दूओ पर विचार किया गया प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सतुलन, राईट एवं टाईटल प्रार्थीगण के पक्ष में बनना नहीं पाया जाता है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं हैं।

उपर्युक्त तथ्यो के विवेचन एवं पत्रावली मे उपलब्ध साक्ष्य सबूत के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 आरटीए स्वीकार योग्य नही होने पर इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है। एवं प्रकरण में दिनांक 28.10.2015 को जारी अस्थायी निषेधाज्ञा निरस्त की जाती है। पत्रावली निर्णित होकर मूल वाद के साथ संलग्न रहे।

निर्णय आज दिनांक 4/9/2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

{रीना, आर.ए.एस}
उपखण्ड अधिकारी {राजस्व}
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

Scanned by CamScanner